2025: CGHC: 51600
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2023

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक – 17.07.2025
निर्णय पारित करने का दिनांक – 16.10.2025

केशकाल जी.एन. इंडिया बॉक्साइट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (जे.वी.सी.),
डाक पता – 404, सिविल लाइन्स, मुख्यमंत्री आवास के सामने, जिला रायपुर, 492001

----**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, खनिज एवं खनिज विभाग, नया रायपुर मंत्रालय, 492002
2. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड, द्वारा प्रबंध निदेशक, सेक्टर–24, कार्यालय ब्लॉक–7 ए, तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
3. भारत संघ, द्वारा सचिव, खान मंत्रालय, पता: तृतीय तल, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001

----**उत्तरदातागण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री किशोर भादुड़ी, वरिष्ठ अधिवक्ता और
श्री प्रियांशु गुप्ता, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से: श्री प्रफुल्ल भारत, महाधिवक्ता और
श्री कल्पेश रूपारेल, पैनल अधिवक्ता।
उत्तरदाता क्र.2 की ओर से: श्री योगेश पांडे, अधिवक्ता।

(अ) चाहा गया अनुतोष :–

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता प्राधिकारियों को यह निर्देश जारी करने हेतु प्रस्तुत की गई है कि वे उत्तरदाता क्रमांक 2/छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में "निगम") द्वारा निगम को खनन पट्टा प्रदान करने के संबंध में 27.03.2023 से पूर्व प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करें। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि यदि उत्तरदाता निगम के पक्ष में खनन पट्टा प्रदान करने के आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहते हैं, तो उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अपात्र न माना जाए और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (संक्षेप

में "एम एम डी आर अधिनियम, 1957") की धारा 17(ए)(2ए) में निहित विधिक रोक के आलोक में उनका आवेदन विचारार्थ जीवित रहे। याचिकाकर्ता ने यह घोषित करने हेतु भी प्रार्थना की है कि वर्ष 1981 में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1957 के तहत बॉक्साइट के खनन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र, खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 में संशोधन के पश्चात भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए आरक्षित ही रहेगा।

(B) तथ्य :–

2. (A) मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 19.06.1981 को एक अधिसूचना (अनुलग्नक पी/1) जारी कर बस्तर जिले की कांकेर और नारायणपुर तहसील में बॉक्साइट अयस्क के खनन का अधिकार म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड (संक्षेप में "एम.पी.एस.एम.सी.") के लिए आरक्षित किया था और अधिसूचना के साथ उन गांवों की भी पहचान की गई थी जहाँ खनन कार्य किया जाना है। तत्पश्चात, एम.पी.एस.एम.सी. द्वारा उन्हें संयुक्त पूर्वेक्षण खनन संचालन के माध्यम से पूर्वेक्षण खनन करने की अनुमति देने का एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 18.11.1981 के माध्यम से अनुमोदित किया था। एम.पी.एस.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति के अनुसरण में, बेलपहाड़ रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड ने पूर्वेक्षण खनन किया और अधिसूचित क्षेत्र में बॉक्साइट के लिए भूगर्भीय जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(B) राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 22.11.1985 (अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से एम.पी.एस.एम.सी. को कुछ शर्तों पर बस्तर जिले के कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में बॉक्साइट खनन के लिए एजेंट के रूप में नामित किया है। आदेश के खंड 1 (ए) में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि एम.पी.एस.एम.सी. खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार खानों का स्वामी होगा और कानून के सभी प्रावधानों तथा उसमें बनाए गए नियमों का पालन भी करेगा। 01.11.2000 को मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में पुनर्गठन के दृष्टिगत, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (संक्षेप में "सी.एम.डी.सी.") का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में खनन कार्य करने हेतु किया गया है।

(C) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि कांकेर और बस्तर जिले में बॉक्साइट अयस्क की पहचान, अन्वेषण, दोहन और विपणन हेतु तथा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में यथाशीघ्र, किंतु संयुक्त उद्यम समझौते की तारीख से दो वर्ष के भीतर, 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का कैल्सीनेशन प्लांट स्थापित करने के लिए सी.एम.डी.सी. (प्रथम पक्ष) और याचिकाकर्ता [मेसर्स के.जी.एन. मिनरल एंड मेटल (पी) लिमिटेड] (द्वितीय पक्ष) के बीच दिनांक 17.02.2003

(अनुलग्नक पी/7) को एक संयुक्त उद्यम समझौता निष्पादित किया गया था। संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 6 में यह प्रावधान है कि प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि ऊपर चिन्हित बॉक्साइट अयस्क युक्त क्षेत्र द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराए जाएं। प्रथम पक्ष उपरोक्त के संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और जिसके प्रतिफल में प्रथम पक्ष को वास्तव में अंशदान दिए बिना संयुक्त उद्यम कंपनी की 25% इक्विटी दी जाएगी। संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 14 में यह भी प्रावधान है कि संयुक्त उद्यम का दैनिक कार्य पूरी तरह से द्वितीय पक्ष के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन होगा और यदि द्वितीय पक्ष उक्त परियोजना के लिए किसी भी घरेलू और/या विदेशी सहयोगी को लाना चाहता है, तो उसे द्वितीय पक्ष द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो वे सहायता के लिए प्रथम पक्ष से परामर्श कर सकते हैं। तदनुसार, सी.एम.डी.सी. ने 20.04.2006 को जिला कांकेर के ग्राम बुधियामारी के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। इसके पश्चात, दिनांक 16.10.2008 (अनुलग्नक पी/6) को एक अनुपूरक संयुक्त उद्यम समझौता निष्पादित किया गया। यह अनुपूरक समझौता प्रावधान करता है कि सभी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टे के लिए, प्रथम पक्ष अर्थात सी.एम.डी.सी. , बॉक्साइट खनिज अयस्क के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति /खनन पट्टा प्रदान करने हेतु अपने नाम से आवेदन करेगा और तत्पश्चात खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम और एमसी नियमों के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी प्रतिफल के ऐसे सभी में पट्टाधृति अधिकारों को संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में समनुदेशित/हस्तांतरित करेगा। अनुपूरक समझौता आगे यह प्रावधान करता है कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सहमति के बिना न तो आवेदन करेगा और न ही किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति /खनन पट्टा आवेदन को वापस लेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(D) छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज निदेशालय ने अपने ज्ञापन दिनांक 06.03.2010 (अनुलग्नक पी/8) के माध्यम से सी.एम.डी.सी. द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.04.2006 को आगे की कार्यवाही हेतु सचिव, खनिज विभाग को अग्रेषित किया और उसे खनन संचालन हेतु सी.एम.डी.सी. के पक्ष में स्वीकृति प्रदान करने के अनुरोध के साथ दिनांक 24.06.2010 (अनुलग्नक पी/9) को सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय को भी अग्रेषित किया गया। इसे दिनांक 25.06.2010 को यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए खारिज कर दिया गया कि जिस क्षेत्र के लिए अनुमति मांगी गई थी, वह निजी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सी.एम.डी.सी. के लिए आरक्षित है। तत्पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज विभाग ने इस अनुरोध के साथ पुनः आवेदन प्रस्तुत किया कि सी.एम.डी.सी. के आवेदन पर पुनर्विचार किया

जाए क्योंकि राज्य सरकार ने सी.एम.डी.सी. को 30 वर्षों के लिए खनन पट्टा प्रदान करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

(E) भारत सरकार, खान मंत्रालय ने ज्ञापन दिनांक 01.08.2011 (अनुलग्नक पी/10) के माध्यम से उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संयुक्त उद्यम भागीदारों और मेसर्स सी.एम.डी.सी. के बीच साझेदारी का अनुपात 76:24 है और संयुक्त उद्यम भागीदारों का चयन भी खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और साथ ही यह दिनांक 24.06.2009 को जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करता है। इसके पश्चात, खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया और एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015") के माध्यम से खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 में कुछ नए प्रावधान सम्मिलित किए गए।

(F) भारत सरकार, खान मंत्रालय ने अपने ज्ञापन दिनांक 01.06.2015 (अनुलग्नक पी/10) के माध्यम से सी.एम.डी.सी. के पक्ष में बॉक्साइट के खनन पट्टे के अनुदान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो कि एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 10A में संशोधन के दृष्टिगत 30 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया था, क्योंकि यह 12.01.2015 को अपात्र हो गया था, सिवाय उन मामलों के जिन्हें खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 10(2A) के तहत सुरक्षित किया गया है। भारत सरकार ने राज्य को एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 17A(2A) के प्रावधानों के अनुसार सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनन पट्टा प्रदान करने पर विचार करने की सलाह भी दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(G) तत्पश्चात, सचिव, खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने ज्ञापन दिनांक 24.02.2015 के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों और खनिज अधिकारियों को एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को स्पष्ट किया और उन आवेदकों को सूचित करने का निर्देश दिया जिनके आवेदन एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 के दृष्टिगत अपात्र हो गए हैं।

(H) सी.एम.डी.सी. के प्रबंध निदेशक ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2012) 11 एस सी सी 1] के प्रकरण में पारित निर्णय के आलोक में छत्तीसगढ़ राज्य से सी.एम.डी.सी. के प्रकरण पर पुनर्विचार करने का पुनः अनुरोध किया। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्यवाही शुरू की गई लेकिन वह अपनी तार्किक परिणति तक नहीं पहुँची। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त अनुतोषों का दावा करते हुए यह याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने सी.एम.डी.सी., जो कि एक सरकारी कंपनी है, को विभिन्न ग्रामों यथा जमीरपाट (तहसील– कुसमी, जिला– बलरामपुर), मैनपाट (जिला– सरगुजा के ग्राम– सरभंजा, ग्राम– पथराई एवं नुरेला, उरंगा और बारिमा), ग्राम– सलंगी (जिला– कबीरधाम, तहसील– बोड़ला) में यथा संशोधित खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 17A(2A) के प्रावधानों के अनुसार 50 वर्षों के लिए बॉक्साइट का खनन पट्टा प्रदान करने की अनुमति दी है। यह दर्शाने के लिए कि सी.एम.डी.सी. को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा खनन पट्टा प्रदान किया गया है, अतः सी.एम.डी.सी. के संयुक्त उद्यम भागीदार होने के नाते याचिकाकर्ता के प्रकरण पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

(C) उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत उत्तर :–

4. उत्तरदाता क्रमांक 1/छत्तीसगढ़ राज्य ने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति उठाते हुए और याचिका में किए गए अभिकथनों का खंडन करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(A) याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा खनन अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है, अतः केवल उत्तरदाता क्रमांक 2 के पास ही इसे चुनौती देने का सुनवाई का अधिकार है, जबकि उत्तरदाता क्रमांक 2 ने याचिका दायर नहीं की है।

(B) भारत संघ ने दिनांक 01.08.2011 (अनुलग्नक पी/10) के अपने आदेश के माध्यम से उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है क्योंकि यह दिनांक 24.06.2009 के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन है; चूंकि याचिकाकर्ता की हिस्सेदारी 74% है और उत्तरदाता क्रमांक 2 की हिस्सेदारी 26% है, अतः यह 'सरकारी कंपनी' की परिधि में नहीं आता है, जबकि उक्त क्षेत्र केवल सरकारी कंपनी के लिए ही आरक्षित है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका में उक्त खारिजी आदेश को चुनौती नहीं दी है, इस कारण भी रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

(C) छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव खनिज विभाग ने अपने ज्ञापन दिनांक 21.07.2020 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. के आवेदन को इस आधार पर पुनः खारिज कर दिया है कि संशोधित अधिनियम, 2015 की धारा 10 A(i) के दृष्टिगत आवेदन अपात्र हो गया है, और याचिकाकर्ता ने इसे भी चुनौती नहीं दी है जिससे यह अंतिमता प्राप्त कर चुका है, अतः रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

(D) गुण–दोष पर निवेदन :–

(A) यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता क्रमांक 2 के बीच दिनांक 17.02.2003 को संयुक्त उद्यम समझौता निष्पादित किया गया था और उत्तरदाता क्रमांक 2 ने दिनांक 30.06.2006 को बॉक्साइट के उत्खनन हेतु चार खनन पट्टों के लिए और उसके पश्चात अन्य आठ खनन पट्टों के लिए आवेदन किया था। इसे उत्तरदाता क्रमांक 3/भारत संघ द्वारा दिनांक 01.08.2011 को खारिज कर दिया गया था और उसके पश्चात, राज्य सरकार ने खनन पट्टा प्रदान करने हेतु भारत संघ को कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं भेजा, अतः उक्त खारिजी आदेश अंतिम हो गया है और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी है।

(B) यह भी तर्क दिया गया है कि पुनः दिनांक 01.06.2015 को, केंद्र सरकार ने अपने ज्ञापन दिनांक 12.01.2015 के माध्यम से आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 17(A) के दृष्टिगत अपात्र हो गया है। दिनांक 22.06.2020 को उत्तरदाता क्रमांक 2 ने खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 17(2A) के तहत खनन पट्टा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को पुनः पत्र भेजा, जिसे राज्य सरकार द्वारा 21.07.2020 को खारिज कर दिया गया, लेकिन इसे भी याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 में आगे और संशोधन किया गया है और खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 10(A)(2)(b) के परंतुक को दिनांक 28.03.2021 को संशोधित किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि वे सभी आवेदन जो संशोधन की तिथि पर लंबित थे, उन्हें 09.07.2021 को व्यपगत मान लिया गया है। धारा 10(A)(2)(b) नीचे उद्धृत है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "मूल अधिनियम की धारा 10A की उपधारा (2) में—
>
> (i) खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–
>
> "परंतु यह कि इस खंड के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, जिनमें लंबित प्रकरण भी शामिल हैं, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और उसके पश्चात खनन पट्टा या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तिथि को व्यपगत हो जाएगा:

परंतु यह और कि टोही परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक, जिसके अधिकार पहले परंतुक के तहत व्यपगत हो गए हैं, उसे टोही या पूर्वेक्षण कार्यों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए।";

(ii) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) उन मामलों में जहां अनुज्ञप्ति या पट्टा प्राप्त करने का अधिकार खंड (ख) और (ग) के तहत व्यपगत हो गया है, ऐसे क्षेत्रों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीलामी के लिए रखा जाएगा:

परंतु यह कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां आणविक खनिज का ग्रेड थ्रेशोल्ड मान के बराबर या उससे अधिक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए खनिज रियायत धारा 11B के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त तथ्यात्मक और विधिक स्थिति के आधार पर, उत्तरदाता क्रमांक 1 ने रिट याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उत्तरदाता क्रमांक 2 ने अपना उत्तर मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की मुख्य व्यथा राज्य सरकार अर्थात् उत्तरदाता क्रमांक 1 के विरुद्ध है, अतः उत्तरदाता क्रमांक 1 ही मुख्य प्रतिपक्षी है और याचिकाकर्ता ने न तो उत्तरदाता क्रमांक 2 के विरुद्ध कोई विशिष्ट अभिकथन किया है और न ही कोई अनुतोष माँगा है, इसलिए उनके द्वारा कोई विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

5. उत्तरदाता क्रमांक 3/भारत संघ ने शपथपत्र दाखिल करते हुए तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई सुनवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि बस्तर जिले में बॉक्साइट के खनन पट्टे के अनुदान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव इस मंत्रालय को मेसर्स छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नाम पर प्राप्त हुआ था और यदि (यद्यपि स्वीकार नहीं किया जाता) खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाना होता, तो वह उत्तरदाता क्रमांक 2 को प्रदान किया जाता न कि याचिकाकर्ता को। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की उत्तरदाता क्रमांक 3 के

विरुद्ध कोई व्यथा नहीं है। इसी आधार पर, वर्तमान रिट याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किए जाने योग्य है।

आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 या उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन खनन पट्टा प्राप्त करने का कोई भी अधिकार स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा है। याचिकाकर्ता न तो खनिज रियायत नियम, 1960 के तत्कालीन नियम 58 के तहत और न ही खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 17A के तहत (जो संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र है) अपने द्वारा अर्जित किसी अधिकार को प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है। यह आगे तर्क दिया गया है कि खनन पट्टा प्रदान करने हेतु याचिकाकर्ता का कोई भी आवेदन 12.01.2015 से खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 10A(1) के प्रभाव से अपात्र हो गया है और वे रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

(E) प्रत्युत्तर :–

(A) याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2011 (अनुलग्नक पी/10) को चुनौती न देने के संबंध में उत्तरदातागण द्वारा उठाई गई याचिका की पोषणीयता संबंधी आपत्ति पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए प्रत्युत्तर दाखिल किया है और तर्क दिया है कि उपरोक्त पत्र कानून के अनुरूप नहीं है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 24.06.2009 को जारी दिशा–निर्देश याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त दिशा–निर्देशों को जारी करते समय मंत्रालय का आशय स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों के खंड 9.3 और 9.4 के आलोक में इन्हें भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाना है न कि भूतलक्षी रूप से, अतः याचिकाकर्ता के लिए इसे चुनौती देना आवश्यक नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि राज्य ने अपने उत्तर में यह आपत्ति भी उठाई है कि खनन पट्टा प्रदान करने का आवेदन राज्य सरकार द्वारा 21.07.2020 (संलग्नक आर/1) को खारिज कर दिया गया था और इसे भी याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त पत्र दिनांक 21.07.2020 एक 'आदेश' के प्रारूप में नहीं है, यद्यपि राज्य सरकार ने इसमें उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता का मामला "अपात्र" की श्रेणी में आता है। उपरोक्त पत्र दिनांक 21.07.2020 के जवाब में, उत्तरदाता सी.एम.डी.सी. ने दिनांक 30.12.2020 को अपना उत्तर भेजा था, जिसमें उपरोक्त तथ्य को स्पष्ट किया गया था कि संयुक्त उद्यम कंपनी अपात्र की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 10A(1) के प्रावधानों के अनुसार अभी भी पात्र है। यह आगे तर्क दिया गया है कि एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 10A(2)(c) की व्याख्या, शर्तों के पूरा होने के अधीन याचिकाकर्ता के अधिकार को सुरक्षित रखती है, इसलिए राज्य को बाध्य करने हेतु याचिकाकर्ता के पक्ष में वाद–हेतुक उत्पन्न होता है।

(B) यह आगे अभिकथन किया गया है कि राज्य सरकार ने दिनांक 27.03.2023 को उत्तरदाता क्रमांक 2 के पक्ष में विभिन्न खनन पट्टे इस आधार पर स्वीकृत किए हैं कि उक्त खनन क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं और खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत सी.एम.डी.सी. को 50 वर्षों की अवधि के लिए कुल 10 खनन पट्टे प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने संयुक्त उद्यम समझौते के तहत अपने हिस्से का कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया है, हालांकि, उत्तरदाता राज्य समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है और अब याचिकाकर्ता को यह आशंका है कि संयुक्त उद्यम समझौते के बाद कानून में हुए बदलाव के कारण, उत्तरदाता क्रमांक 1 उस भूमि को, जो सरकारी कंपनी/उत्तरदाता क्रमांक 2 के लिए चिन्हित/आरक्षित है, अनारक्षित मान सकता है। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही कैल्सीनेशन प्लांट स्थापित करने पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुका है और पिछले 20 वर्षों से याचिकाकर्ता का पूरा समय और पैसा इस परियोजना में निवेश किया गया है, इसलिए उत्तरदाता प्राधिकारियों के कृत्य से याचिकाकर्ता को होने वाली हानि 'अपूरणीय क्षति' की श्रेणी में आएगी जिसे धन के रूप में प्रतिपूरित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(C) यह आगे अभिकथन किया गया है कि प्रबंध निदेशक, सी.एम.डी.सी. ने दिनांक 30.12.2020 को स्थिति स्पष्ट की थी और राज्य सरकार से याचिकाकर्ता के प्रकरण में कार्यवाही आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था और उत्तरदाता से उचित कार्रवाई करने तथा अपने पक्ष में खनन पट्टा प्रदान करने का पुनः अनुरोध किया था, हालांकि, आज तक सी.एम.डी.सी. द्वारा किए गए उक्त अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है और न ही राज्य सरकार के पास लंबित आवेदनों के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य के आधार पर, रिट याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

(F) याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत निवेदन :–

8. (A) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता राज्य के विरुद्ध **'वचन विबंध के सिद्धांत'** के अनुप्रयोग के आधार पर अनुतोष का दावा कर रहा है। रिट याचिका में पहले से उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता संयुक्त उद्यम

कंपनी का एक पक्षकार है, अतः अपने हितों की रक्षा के लिए याचिका दायर करने हेतु उसके पास सुनवाई का अधिकार है। यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने संयुक्त उद्यम समझौते के दृष्टिगत लगभग 20 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय को संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया से अवगत कराया और तर्क दिया कि उत्तरदाता क्रमांक 2 ने खनन और उत्खनन के कार्य के निष्पादन हेतु निजी पक्षों/फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम समझौते के लिए विज्ञापन जारी किया था। सी.एम.डी.सी. द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में, कंपनी 'के.जी.एन. मिनरल एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड' ने दिनांक 10.05.2002 को लागू प्रसंस्करण शुल्क और जमा राशि के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर विचार करने और संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, सी.एम.डी.सी. ने दिनांक 17.02.2003 के समझौते के माध्यम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए संयुक्त उद्यम समझौता किया। इस प्रकार, 'केशकाल जी.एन. इंडिया बॉक्साइट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड' (आवेदक) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया, जो दिनांक 04.03.2003 को विधिवत पंजीकृत हुई और तदनुसार उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपये का निवेश किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि 17.02.2003 के संयुक्त उद्यम समझौते के आलोक में, मेसर्स के.जी.एन. मिनरल एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड परियोजना की अनुमानित लागत के लिए अपने स्वयं के संसाधनों या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कुल पूंजी की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी और संयुक्त उद्यम कंपनी के कार्य की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे परस्पर सहमत अवधि के सफल समापन पर बढ़ाया जा सकता है। उत्तरदाता राज्य द्वारा किए गए वादों को आधार मानते हुए, याचिकाकर्ता ने ग्राम बरगानी, तहसील चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में एक कैल्सीनेशन प्लांट स्थापित किया और इस संयंत्र के निर्माण में याचिकाकर्ता को लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। उन्होंने अपनी संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को उचित ठहराने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के खंड पर विशेष बल दिया। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि चूंकि राज्य द्वारा किए गए वादे और याचिकाकर्ता द्वारा उनका अनुपालन 24.06.2009 से पूर्व का था, इसलिए 24.06.2009 के दिशा–निर्देश याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू नहीं थे, क्योंकि जब संयुक्त उद्यम कंपनी समझौता किया गया था, तब साझेदारी में पक्षकारों के प्रतिशत के संबंध में कोई दिशा–निर्देश, वैधानिक प्रावधान या नियम अस्तित्व में नहीं थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि खनिज संसाधन विभाग के सचिव के बीच हुए विभिन्न पत्राचार और

उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि आवेदन अभी भी लंबित है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में, केंद्र सरकार ने 16.11.1980 को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 58 में संशोधन किया था और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए क्षेत्र आरक्षित किया था। तदनुसार, इसे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 19.06.1981 को आरक्षित किया गया था, अतः उत्तरदातागण इस न्यायालय से उत्तरदाता क्रमांक 2 के पक्ष में खनन लाइसेंस प्रदान करने के निर्देश के पात्र हैं क्योंकि वह अपात्र नहीं हुआ है, यद्यपि बाद में एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने रिट याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों की पुष्टि के लिए, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया:

- तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स हिंद स्टोन एवं अन्य [(1981) 2 एससीसी 205]
- इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य [(1991) एआईआर 818]
- तमिलनाडु राज्य बनाम एम.पी. कावेरी चेट्टी [(1995) 2 एससीसी 402]
- इंडियन चार्ज क्रोम बनाम भारत संघ [(2006) 12 एससीसी 331]
- मेसर्स जियोमैसूर सर्विसेज (एल) प्रा. लिमिटेड बनाम मेसर्स हट्टी गोल्डमाइंस कं. लिमिटेड एवं अन्य [सिविल अपील क्रमांक 2538/2017]
- मोनेट स्टील एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2012) 11 एससीसी 1]
- ओडिशा राज्य बनाम एम.ए. टुलच एंड कंपनी [AIR 1964 SC 1284]
- बैजनाथ काडिलो बनाम बिहार राज्य [(1969) 3 एस सी सी 838]
- इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य [(1990) 1 एस सी सी 12]
- ओडिशा सीमेंट लिमिटेड बनाम ओडिशा राज्य [(1991) Supp 1 एस सी सी 430]
- संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य [(2010) 13 एस सी सी 1]
- न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1995) एस सी सी 1 478]
- एम. सुधाकर बनाम वी. मनोहरन एवं अन्य [(2011) 1 एस सी सी 484]
- मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 126/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2017।
- श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जयपुर पीठ द्वारा एस.बी. सिविल रिट क्रमांक 128/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2018।

9. उत्तरदाता क्रमांक 1/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की हिस्सेदारी 74% है और उत्तरदाता क्रमांक 2/सी.एम.डी.सी. की हिस्सेदारी 26% है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक **'सरकारी कंपनी'** है। इस प्रकार, जो खनन क्षेत्र सरकारी कंपनी के लिए आरक्षित है, वह ऐसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता जो सरकारी कंपनी नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 17.02.2003 को निष्पादित संयुक्त उद्यम कंपनी के खंड 11 और 14 के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संयुक्त उद्यम कंपनी का संपूर्ण नियंत्रण याचिकाकर्ता के पास है न कि उत्तरदाता क्रमांक 2 के पास, अतः यह तर्क कि संयुक्त उद्यम कंपनी एक सरकारी कंपनी है, खारिज किए जाने योग्य है।

10. उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने न तो दिनांक 01.08.2011 के आदेश को चुनौती दी है (जो दिनांक 24.06.2009 के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था), और न ही दिनांक 01.06.2015 के आदेश को (जिसके द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन वर्ष 2015 में **खान और खनिज** [(**विकास और विनिमय**)] **अधिनियम** में किए गए संशोधन के दृष्टिगत अपात्र हो गया है), और न ही दिनांक 21.07.2020 के आदेश (अनुलग्नक आर/1) को चुनौती दी है, अतः उक्त आदेशों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। इस कारण से भी, किसी चुनौती के अभाव में यह रिट याचिका निरस्त होने योग्य है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि दिनांक 01.08.2011 को केंद्र सरकार के आदेश के पश्चात राज्य सरकार ने खनन पट्टा प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किया है, अतः **खान और खनिज** [(**विकास और विनिमय**)] **अधिनियम, 1957** की धारा 10(A)(2)(b) में परंतुक अंतःस्थापित किए जाने वाले संशोधन के आलोक में लंबित आवेदन 28.03.2021 को व्यपगत हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कुछ ऐसी 'नोट–शीट' का सहारा लेने का प्रयास कर रहा है, जिसका कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आधिकारिक फाइलों में दर्ज नोट–शीट/नोटिंग/राय, निर्णय नहीं होते हैं और वे कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इस तर्क की पुष्टि के लिए, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शांति स्पोर्ट्स क्लब एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** [(2009) 15 एस सी सी 705] के प्रकरण में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि उसने संयंत्र स्थापित करने के लिए **20 करोड़ रुपये** की भारी राशि निवेश की है, इसलिए उसके पक्ष में खनन पट्टा प्रदान किए जाने की उसकी 'वैध प्रत्याशा' है, माननीय उच्चतम न्यायालय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

द्वारा **मोनेट इस्पात बनाम भारत संघ [(2012) 11** एस सी सी **1]** के प्रकरण में प्रतिपादित कानून के आलोक में भ्रामक है, और उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

11. भारत संघ/उत्तरदाता क्रमांक 3 की ओर से विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया और रिट याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

13. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का निर्धारण किया जाना है:–

बिंदु क्रमांक 1: क्या दिनांक 24.06.2009 के दिशा–निर्देश, जिनके द्वारा संयुक्त उद्यम भागीदारों के लिए शेयरों का अनुपात निर्धारित किया गया है, भूतलक्षी रूप से प्रभावी हैं या नहीं?

बिंदु क्रमांक 2: क्या उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन **एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015** की धारा 10(A)(2) में संशोधन और 28.03.2021 के पश्चातवर्ती संशोधन के दृष्टिगत अपात्र हो गया है, और क्या इसे बचाया जा सकता है या नहीं?

बिंदु क्रमांक 3: क्या याचिकाकर्ता के पास यह याचिका दायर करने का 'सुनवाई का अधिकार' है, जबकि उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन 12 वर्ष बीत जाने के बाद 01.08.2011 को खारिज कर दिया गया था और **खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957** के तहत पुनरीक्षण (रिवीजन) दायर करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(G) बिंदु क्रमांक 1 पर निष्कर्ष, चर्चा एवं विश्लेषण

14.बिंदु क्रमांक 1 का विश्लेषण करने के लिए, इस न्यायालय के लिए **खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957** की धारा 5(1) के तहत खनिज रियायत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में जारी दिनांक 24.06.2009 के दिशा–निर्देशों के साथ–साथ **खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957** की धारा 17A का अवलोकन करना समीचीन है, जो संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र के आरक्षण का प्रावधान करती है। **खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957** की धारा 17A(2) यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो पहले से किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन

पट्टे के अधीन नहीं है, सरकारी कंपनी या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन कार्य करने के लिए आरक्षित कर सकती है। जहाँ ऐसा करना प्रस्तावित हो, वहां राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र (गजट) में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। तदनुसार, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 19.06.1981 के माध्यम से खनन संचालन के लिए क्षेत्र आरक्षित किया है, जिसके लिए उत्तरदाता क्रमांक 2 (जो एक सरकारी कंपनी है) ने पट्टा मांगा है। **खान और खनिज** [(**विकास और विनिमय**)] **अधिनियम, 1957** की धारा 17A नीचे उद्धृत है:–

"**धारा 17A. संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण।**—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी खनिज के संरक्षण की दृष्टि से और राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, किसी भी ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन न हो और, जहाँ वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[(1A) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करके, किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो पहले से किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन न हो, सरकारी कंपनी या अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन कार्य करने के लिए आरक्षित कर सकती है, और जहाँ वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।]

(2) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो पहले से किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन न हो, सरकारी कंपनी या अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन कार्य करने के लिए आरक्षित कर सकती है और जहाँ वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।

(2A) जहाँ उपधारा (1A) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पूर्वेक्षण या खनन कार्य करने के लिए कोई क्षेत्र आरक्षित करती

है, वहाँ राज्य सरकार ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को ऐसे क्षेत्र के संबंध में, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करेगी:

परंतु यह कि प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करेगी।

(2B) जहाँ सरकारी कंपनी या निगम अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त उद्यम में पूर्वेक्षण कार्य या खनन कार्य करने का इच्छुक है, वहाँ संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, और ऐसी सरकारी कंपनी या निगम की ऐसे संयुक्त उद्यम में समादत्त शेयर पूंजी चौहत्तर प्रतिशत से अधिक होगी।

(2C) उपधारा (2A) और (2B) में संदर्भित किसी सरकारी कंपनी या निगम, या संयुक्त उद्यम को प्रदान किया गया खनन पट्टा ऐसी राशि के भुगतान पर प्रदान किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) जहाँ उपधारा (1A) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन कार्य करती है जिसमें खनिज किसी निजी व्यक्ति में निहित हैं, वहाँ वह समय–समय पर उसी दर पर पूर्वेक्षण शुल्क, रॉयल्टी, भूतल किराया या नियत किराया, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जिस दर पर वह इस अधिनियम के तहत देय होता यदि ऐसा पूर्वेक्षण या खनन कार्य किसी निजी व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के तहत किया गया होता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह धारा विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि यह एक सरकारी कंपनी या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम होना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता क्रमांक 2 के बीच हुए संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 14 से यह अत्यंत स्पष्ट है कि यह केवल याचिकाकर्ता द्वारा नियंत्रित है। संयुक्त उद्यम समझौते का खंड 14 यहाँ पुनः उद्धृत है:–

> "14. संयुक्त उद्यम का दैनिक कार्य पूरी तरह से द्वितीय पक्ष के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन होगा और यदि द्वितीय पक्ष उक्त परियोजना के लिए किसी भी घरेलू और/या विदेशी सहयोगी को लाना चाहता है, तो उसे द्वितीय पक्ष द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो वे सहायता के लिए प्रथम पक्ष से परामर्श कर सकते हैं। ऐसी मंशा प्रथम पक्ष को पहले से लिखित में व्यक्त करनी होगी।"

16. अतः, यह देखा जाना आवश्यक है कि संयुक्त उद्यम कंपनी के कार्यों पर किसका नियंत्रण है। संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 14 के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि जेवीसी के कामकाज पर संपूर्ण नियंत्रण याचिकाकर्ता का है, जो कि खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 17(2) का उल्लंघन है। केवल इसी आधार पर, उत्तरदाता क्रमांक 2 के पक्ष में खनन पट्टा प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने वाला भारत संघ द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं पाया जा सकता है, और न ही यह किसी ऐसी विपरीतता या अवैधता से ग्रस्त है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह अतिरिक्त तर्क कि दिनांक 24.06.2009 के दिशा–निर्देशों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, भ्रामक है क्योंकि ये दिशा–निर्देश खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 17(2)(A) के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त उद्यम कंपनी की कार्यप्रणाली पर किसका नियंत्रण है, जिसके लिए जेवीसी के नियंत्रण का आकलन करने हेतु एक मापदंड को ध्यान में रखा गया है। उसके लिए केवल एक अनुपात निर्धारित किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु है। दिशा–निर्देश का खंड 9.2 यह प्रावधान करता है कि वह संयुक्त उद्यम, जिसे बाद में खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 37 के तहत हस्तांतरण द्वारा पीएल/एमएल दिया जाना प्रस्तावित है, उसे अनिवार्य रूप से आरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात संचालन करने वाली कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास होना चाहिए। दिशा–निर्देश का खंड 9.3 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई सार्वजनिक उपक्रम किसी आरक्षित क्षेत्र में दोहन करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम करता है, तो ऐसे संयुक्त उद्यम भागीदारों के चयन की प्रक्रिया को खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 11(3) में निर्धारित मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए। ये दिशा–निर्देश न तो संविधि को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और न ही उसे अध्यारोही कर रहे हैं, बल्कि यह खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अनुपूरक हैं, अतः याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि यह याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू नहीं हो सकता, खारिज किए जाने योग्य है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। परिपत्र जारी करने और उसके उद्देश्य के संबंध में कानून निरंतर माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष जांच का विषय रहा है और न्यायालयों ने यह माना है कि स्पष्टीकरणात्मक आदेश को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है क्योंकि यह **'कंटेम्पेरानिया एक्सपोजिटियो'** के सिद्धांत द्वारा मूल प्रावधान पर प्रकाश डाल सकता है, अतः ये दिशा–निर्देश बिना किसी संकोच के याचिकाकर्ता के प्रकरण में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूरी शक्ति के साथ लागू होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य बनाम स्टेटस स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य, (2008) 7** एससीसी **353** के कंडिका 29 में इस प्रकार धारित किया है:–

> "29. राज्य द्वारा अपीलों के लंबित रहने के दौरान जारी स्पष्टीकरण पर, उच्च न्यायालय द्वारा इसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए था। यदि यह प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है, तो इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। हालाँकि, ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए था और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, दिनांक 01.08.1997 का पत्र इसलिए जारी किया गया था क्योंकि कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ था। जब राज्य सरकार द्वारा कोई अधीनस्थ विधान बनाया जाता है, तो उसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमों और कार्य–संचालन को ध्यान में रखते हुए एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया जाता है। हो सकता है कि इसमें कानून का बल न हो, लेकिन यह **'कंटेम्पेरानिया एक्सपोजिटियो'** के सुस्थापित सिद्धांत के दायरे में आ सकता है। कार्यकारी निर्वचन के नियम भी प्रासंगिक हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कार्यकारी निर्देश वैधानिक प्रावधानों को अध्यारोही नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे कानून के पूरक होने या कानून के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए होते हैं और उत्तरदाता क्रमांक 3 द्वारा जारी दिशा–निर्देश यह आकलन करने के लिए हैं कि क्या खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 17(2)(A) के अनुसार, याचिकाकर्ता ऐसी सरकारी कंपनी या निगम की श्रेणी में आता है, अतः दिनांक 24.06.2009 के दिशा–निर्देश याचिकाकर्ता पर लागू होते हैं।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अकाउंटेंट जनरल, मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.के. दुबे और अन्य [(2012) 4 एससीसी 578]** में कार्यकारी निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति की जांच की है और कंडिका 31 और 33 में इस प्रकार धारित किया है:–

"31. संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होती है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यही संविधान के अनुच्छेद 162 में प्रावधानित है। दूसरे शब्दों में, राज्य कार्यपालिका की कार्यकारी शक्ति राज्य विधानमंडल की शक्ति के सम–विस्तृत है।"

33. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ललित मोहन देब [(1973) 3 एससीसी 862 : 1973 एससीसी (एलएंडएस) 272] में कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 867, कंडिका 9)

"9. यह सत्य है कि चयन श्रेणी के सहायकों के चयन को विनियमित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं हैं। लेकिन ऐसे नियमों की अनुपस्थिति प्रशासन को उच्च श्रेणी में पदोन्नति के संबंध में निर्देश देने से नहीं रोकती है, जब तक कि ऐसे निर्देश इस विषय पर किसी नियम के असंगत न हों।" भारत संघ बनाम सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप 'ए' (सीधी भर्ती) एसोसिएशन, सी.पी.डब्ल्यू.डी. [(2008) 1 एससीसी 354 : (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 173] में, इस न्यायालय ने धारित किया कि कार्यकारी निर्देश उन रिक्तियों भर सकते हैं जो नियमों द्वारा कवर नहीं की गई हैं, लेकिन ऐसे निर्देश वैधानिक नियमों के अल्पीकरण में नहीं हो सकते।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम अशोक कुमार अग्रवाल [(2013) 16 एससीसी 147]** में कंडिका 58 से 60 में इस प्रकार धारित किया है:–

"58. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य [एआईआर 1967 एससी 1910]में कार्यकारी निर्देशों के संबंध में इसी तरह के विषय पर विचार करते हुए धारित किया: (ए.आई.आर. पृष्ठ 1914, कंडिका 7)

"7. ... यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा

वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकती या उनका स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं, तो सरकार रिक्तियों को भर सकती है और नियमों के पूरक के रूप में ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों के असंगत न हों।"

59. ऊपर प्रतिपादित कानून का निरंतर पालन किया गया है और यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी प्राधिकारी वैधानिक नियमों के उल्लंघन में आदेश/कार्यालय ज्ञापन/कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है। हालाँकि, निर्देश केवल वैधानिक नियमों के पूरक के रूप में जारी किए जा सकते हैं, न कि उन्हें विस्थापित करने के लिए। ऐसे निर्देश वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने चाहिए। (देखें: भारत संघ बनाम मज़ी जंगमैया [(1977) 1 एससीसी 606 : 1977 एससीसी (एल एंड एस) 191], पी.डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1987) 3 एससीसी 622 : 1987 एससीसी (एल एंड एस) 310 : (1987) 4 एटीसी 272], पालुरू रामकृष्णैया बनाम भारत संघ [(1989) 2 एससीसी 541 : 1989 एससीसी (एल एंड एस) 375 : (1989) 10 एटीसी 378 : एआईआर 1990 एससी 166], सी. रंगास्वामी बनाम कर्नाटक लोकायुक्त [(1998) 6 एससीसी 66 : 1998 एससीसी (एल एंड एस) 1448] और जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम डी.जी. नागरिक उद्योग [(2011) 5 एससीसी 435: एआईआर 2011 एससी 2220]

60. इसी तरह, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने नागा पीपल्स आंदोलन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> संघ [(1998) 2 एससीसी 109: 1998 एससीसी (क्रि) 514: एआईआर 1998 एससी 431] में धारित किया कि कार्यकारी निर्देशों की बाध्यकारी शक्ति होती है, बशर्ते वे वैधानिक प्रावधानों के बीच की रिक्ति को भरने के लिए जारी किए गए हों और उक्त प्रावधानों के असंगत न हों।"

21. इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि चूंकि कार्यकारी निर्देश कानून के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के पूरक हैं, इसलिए वे बिना किसी संकोच के याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू होते हैं और बिंदु क्रमांक 1 का उत्तर याचिकाकर्ता के विरुद्ध तथा उत्तरदाता क्रमांक 1 और 3 के पक्ष में दिया जाता है। तदनुसार, यह धारित किया जाता है कि दिशा–निर्देश खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हैं, इसलिए वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रयोज्यता का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(H) बिंदु क्रमांक 2 पर निष्कर्ष, चर्चा एवं विश्लेषण

22. इस बिंदु का विश्लेषण करने के लिए, इस न्यायालय के लिए खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त अवलोकन करना समीचीन है। 'टोही संक्रिया' और 'टोही परमिट' को क्रमशः धारा 3(ha) और 3(hb) में परिभाषित किया गया है और एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में 12.01.2015 को यथा संशोधित धारा 10A इस प्रकार है:–

> "**धारा 3 (ha)– टोही संक्रियाएं** " से क्षेत्रीय, हवाई, भू–भौतिकीय या भू–रासायनिक सर्वेक्षणों और भूगर्भीय मानचित्रण के माध्यम से किसी खनिज के प्रारंभिक पूर्वेक्षण के लिए की गई कोई भी संक्रिया अभिप्रेत है, किंतु इसमें गड्ढे खोदना , खाइयां बनाना , वेधन (केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट ग्रिड पर बोरहोल के वेधन को छोड़कर) या उप–सतही उत्खनन शामिल नहीं है;
>
> "**धारा 3 (hb)– टोही परमिट**" से टोही संक्रियाएं करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया परमिट अभिप्रेत है;
>
> "**धारा 10A– विद्यमान रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार।**—(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले प्राप्त सभी आवेदन अपात्र हो जाएंगे।
>
> (2) उपधारा (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, निम्नलिखित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पात्र बने रहेंगे:—
>
> (क) इस अधिनियम की धारा 11A के तहत प्राप्त आवेदन;
>
> (ख) जहाँ खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व किसी भूमि के संबंध में किसी खनिज के लिए टोही परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, वहाँ परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी के पास उस भूमि में उस खनिज के संबंध में, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और उसके पश्चात खनन पट्टा, या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी ने:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) केंद्र सरकार द्वारा विहित मापदंडों के अनुसार ऐसी भूमि में खनिज अंशों के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, यथास्थिति, टोही संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं की हैं;

(ii) टोही परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

(iii) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपात्र नहीं हुआ है; और

(iv) यथास्थिति, टोही परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर, या राज्य सरकार द्वारा विस्तारित छह महीने से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन करने में विफल नहीं रहा है;

(ग) जहाँ केंद्र सरकार ने खनन पट्टा प्रदान करने के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के तहत अपेक्षित पूर्व अनुमोदन संसूचित कर दिया है, या यदि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने के लिए कोई आशय पत्र (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए) जारी किया गया है, तो खनन पट्टा उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्व अनुमोदन या आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रदान किया जाएगा:

परंतु यह कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इस उपधारा के खंड (ख) के तहत कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 10A(2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदनों की केवल वही श्रेणी/स्थिति पात्र बनी रहेगी जिन्हें इस धारा में प्रगणित किया गया है, अन्यथा वे विचारार्थ अपात्र हो जाएंगे। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बॉक्साइट के टोही सर्वेक्षण और नमूनाकरण से संबंधित रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/2) के आधार पर, वे खनन पट्टा प्राप्त करने के पात्र होंगे, भले ही इस न्यायालय द्वारा एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 और 2021 पर विचार किया जा रहा हो। स्वयं रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/2) से यह सुस्पष्ट है कि विभिन्न पठारों से बॉक्साइट का सर्वेक्षण

नमूनाकरण दिसंबर 1981 और फरवरी 1982 के दौरान किया गया था और याचिकाकर्ता के साथ वर्तमान संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 17.02.2003 को किया गया है। उपधारा (4) [संभवतः धारा 10A(2)(b)(iv)] प्रावधान करती है कि यदि किसी प्रस्तावित पट्टा धारक ने, यथास्थिति, टोही परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तीन महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा विस्तारित छह महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन नहीं किया है, तो वह अपात्र हो जाएगा, जबकि रिपोर्ट से ही यह सुस्पष्ट है कि टोही सर्वेक्षण दिसंबर 1981 से फरवरी 1982 तक किया गया था और छह महीने के भीतर उत्तरदाता क्रमांक 2 ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया था। अतः, याचिकाकर्ता उत्तरदाता क्रमांक 2 को खनन पट्टा प्रदान करने हेतु पात्र मानने या उसका आवेदन अपात्र न होने के संबंध में कोई बचाव नहीं ले सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि उत्तरदाता ने 12.01.2015 को खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 में हुए संशोधन के आलोक में उत्तरदाता क्रमांक 2 को अपात्र मानकर अवैधता की है, खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. याचिकाकर्ता को अपात्र ठहराने का एक अन्य कारण खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 (मूल पाठ में लिखित '1857' संभवतः टंकण त्रुटि है) में 28.03.2021 को किया गया अतिरिक्त संशोधन है, जो यह प्रावधान करता है कि संशोधन की तिथि पर लंबित वे सभी आवेदन, खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 10(A)(2)(b) में परंतुक के अंतःस्थापन के दृष्टिगत, 09.07.2021 को व्यपगत (lapsed) मान लिए गए थे। अतः, उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऊपर विस्तृत रूप से बताए गए सभी कारणों से, अपात्र या व्यपगत हो गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने हेतु उत्तरदाता क्रमांक 2 के प्रकरण पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को कोई अनुशंसा नहीं की गई थी। तदनुसार, बिंदु क्रमांक 2 का उत्तर भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध और उत्तरदाता क्रमांक 1 एवं 3 के पक्ष में दिया जाता है।

(I) बिंदु क्रमांक 3 पर निष्कर्ष, चर्चा एवं विश्लेषण

25. रिट याचिका में किए गए अभिकथनों से यह सुस्पष्ट है कि खनन पट्टा उत्तरदाता क्रमांक 2 को प्रदान किया जाना संभावित था, भले ही याचिकाकर्ता दिनांक 17.02.2003 के संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार उसके साथ संयुक्त उद्यम का सदस्य हो; सभी पट्टे (PL/ML) पहले उत्तरदाता क्रमांक 2 को प्रदान किए जाने थे, जो उनके संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को हस्तांतरित किए जाते, किंतु उत्तरदाता क्रमांक 2, जिसका हित उत्तरदाता क्रमांक 1 और 3 के आदेश या निष्क्रियता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, उसने

इस न्यायालय की शरण नहीं ली है। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसने याचिकाकर्ता द्वारा कथित राशि का निवेश किया हो, क्योंकि उत्तरदाता क्रमांक 1 और 3 की कार्रवाई से कोई भी अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुआ है; अतः उसे 'व्यथित व्यक्ति' नहीं माना जा सकता। 'व्यथित व्यक्ति' को विधिक शब्दकोश में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि कानून के उचित प्रशासन को देखने में सामान्य जनता के हित से परे उसका अपना अधिक विशिष्ट या अनन्य हित है, और ऐसी हानि या क्षति कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका परिणाम किसी कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित की क्षति के रूप में नहीं निकलता है। प्रकरण के अभिलेखों से यह प्रदर्शनात्मक रूप से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को किसी कानूनी अधिकार से न तो वंचित किया गया है और न ही मना किया गया है। याचिकाकर्ता को किसी भी कानूनी रूप से संरक्षित हित की क्षति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता के साथ कोई कानूनी अन्याय नहीं हुआ है और उसकी कोई व्यथा नहीं है, तथा उसके पास न्यायोचित दावे हेतु कोई विधिक आधार नहीं है। अतः, याचिकाकर्ता 'व्यथित व्यक्ति' नहीं है और उत्तरदाता क्रमांक 2, जिसका हित उत्तरदाता क्रमांक 1 और 3 के आदेश या निष्क्रियता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, इस न्यायालय के समक्ष नहीं आया है; ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के पास इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसने याचिकाकर्ता द्वारा कथित राशि का निवेश किया हो, क्योंकि उत्तरदाता क्रमांक 1 और 3 की कार्रवाई से कोई भी अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में 'व्यथित व्यक्ति' शब्द पर विचार किया है, विशेष रूप से **बबुआ राम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** [(1995) 2 एस सी सी 689] के प्रकरण में, जिसमें निम्नानुसार धारित किया गया है:–

> "17. कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी में, 'व्यथित' (aggrieved) शब्द को "विशेष रूप से किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करके अन्यायपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करना" के रूप में परिभाषित किया गया है। वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, इंटरनेशनल एडिशन के पृष्ठ 28 पर, व्यथित व्यक्ति को "दुर्व्यवहार का शिकार होना, क्षति या अन्याय महसूस करना। विधिक निर्णय द्वारा प्रतिकूल रूप से अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर घायल होना" के रूप में परिभाषित किया गया है। स्ट्राउड जुडिशियल डिक्शनरी, पांचवां संस्करण, खंड 1, पृष्ठ 83–84 में, व्यथित व्यक्ति का अर्थ है "कानूनी अर्थ में घायल या क्षतिग्रस्त व्यक्ति"। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण के पृष्ठ 65 पर, व्यथित को "हानि या क्षति सहने वाला; क्षतिग्रस्त; आहत" के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यथित व्यक्ति को

"वह व्यक्ति जिसके कानूनी अधिकार पर उस कृत्य द्वारा आक्रमण किया गया हो जिसकी शिकायत की गई है, या जिसका आर्थिक हित किसी डिक्री या निर्णय द्वारा प्रत्यक्ष और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो। वह व्यक्ति जिसके संपत्ति के अधिकार को स्थापित या उससे वंचित किया जा सकता हो" के रूप में परिभाषित किया गया है। 'व्यथित' शब्द एक सारवान व्यथा किसी व्यक्तिगत, धनीय या संपत्ति के अधिकार के इनकार, या किसी पक्षकार पर भार या दायित्व थोपने को संदर्भित करता है।"

"अतः, व्यथित व्यक्ति वह होना चाहिए जिसने कानूनी व्यथा का सामना किया हो, क्योंकि सिविल न्यायालय द्वारा उसके समान ही अर्जित भूमियों के लिए उच्चतर प्रतिकर देने का निर्णय सुनाया गया है, जबकि उसे अधिनियम की धारा 18 के साथ पठित धारा 31 के प्रवर्तन के कारण अपनी भूमि के लिए ऐसे उच्चतर प्रतिकर से वंचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए पंचाट में उसकी अर्जित भूमि में उसका आर्थिक हित सीधे और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है; वह इस रूप में व्यथित व्यक्ति बन जाता है और धारा 28A(1) के तहत प्रदत्त अधिकार और उपचार का लाभ उठाने का हकदार होता है ताकि वह कलेक्टर/भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत राशि से अधिक प्रतिकर प्राप्त करने के अपने वंचित अधिकार को प्राप्त कर सके। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एल. सांघी और उनके साथियों के इस तर्क को स्वीकार करना—कि वे व्यक्ति जिन्होंने विरोध स्वरूप अपनी भूमियों के लिए प्रतिकर प्राप्त किया लेकिन धारा 18 के तहत अधिकार और उपचार का लाभ उठाने में विफल रहे और पार्श्व में खड़े होकर निकटवर्ती भूमि स्वामियों की सफलता की प्रतीक्षा करते रहे ताकि वे धारा 28A(1) के तहत 'व्यथित व्यक्ति' के रूप में उच्चतर प्रतिकर प्राप्त कर सकें—उन निर्धन और मूक लोगों के अधिकारों को छीनता है जो अपनी निर्धनता या अज्ञानता के कारण धारा 18 के तहत अधिकार और उपचार का लाभ उठाने में विफल रहे। यह न केवल समान स्थिति वाले व्यक्तियों के एक ही वर्ग के बीच अवांछनीय विभेद पैदा करता है, बल्कि अत्यधिक अन्यायपूर्ण, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला होगा, साथ ही यह संविधि की स्पष्ट मंशा के भी विपरीत होगा जैसा कि इसके 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' तथा 'वित्तीय ज्ञापन' में व्यक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया है। इस संदर्भ में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' तथा 'वित्तीय ज्ञापन' को केवल यह जानने के लिए देखा है कि विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किन परिस्थितियों ने प्रेरित किया, न कि धारा 28A(1) की व्याख्या करने में सहायता के रूप में। इसलिए, हमें यह धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि धारा 4(1) के तहत प्रकाशित उसी अधिसूचना के अंतर्गत अर्जित भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जो धारा 31(2) के द्वितीय परंतुक के साथ पठित धारा 18(1) के तहत अधिकार और उपचार का लाभ उठाने में विफल रहा है, वह अधिनियम की धारा 28A(1) के तहत तब 'व्यथित व्यक्ति' बन जाता है, जब उसी अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली दूसरी भूमि के स्वामी को, धारा 18 के तहत उसके द्वारा किए गए संदर्भ पर, सिविल न्यायालय द्वारा उच्चतर प्रतिकर प्रदान किया जाता है।"

18. पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नार्दर्न प्लास्टिक्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य [(1997) 4** एस सी सी **452]** के प्रकरण में कंडिका 10 में निम्नानुसार धारित किया है:–

"10. .....लेकिन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में सीमा शुल्क कलेक्टर के समक्ष आरोपित पक्षकार के अतिरिक्त 'व्यथित व्यक्ति' के रूप में सुनवाई का अधिकार प्राप्त करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि ऐसा व्यथित व्यक्ति, जो कि तीसरा पक्षकार है, न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में शामिल माल में प्रत्यक्ष कानूनी हित रखता है। यह सामान्य जनहित या व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी का हित नहीं हो सकता है, जैसा कि हमारे समक्ष प्रतिपक्षी उत्तरदातागण द्वारा दर्शाया जा रहा है। इस संबंध में हम इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के निर्णय **आदि फिरोजशाह गांधी बनाम एच.एम. सीरवाई, महाधिवक्ता महाराष्ट्र, बॉम्बे [(1970) 2** एस सी सी **484]** का संदर्भ ले सकते हैं। उस प्रकरण में संविधान पीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता जिन्हें एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अनुसार बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में नोटिस जारी किया जाना था, उनके पास भारतीय बार काउंसिल के समक्ष एडवोकेट एक्ट की धारा 37 के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार था। संविधान पीठ के बहुमत ने यह विचार अपनाया कि महाधिवक्ता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। उन्हें संबंधित दोषी अधिवक्ता को दोषमुक्त करने वाले अनुशासनात्मक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकारी के निर्णय से 'व्यथित व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता था। बहुमत की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति मित्तर ने अधिनियम के वैधानिक परिवेश के आलोक में प्रश्न पर विचार किया और अवलोकन किया कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाहियों को देखना होगा। हम इस संबंध में न्यायमूर्ति मित्तर के उक्त निर्णय के पैरा 9 और 10 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं:

'सामान्यतः, एक व्यक्ति को उस आदेश से व्यथित कहा जा सकता है जो उसके अहित में हो या उसे किसी न किसी रूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव पहुँचाता हो। एक व्यक्ति जो मुकदमेबाजी में पक्षकार नहीं है, उसे केवल इसलिए अपील करने का अधिकार नहीं है क्योंकि निर्णय या आदेश में उसके विरुद्ध कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं। लेकिन कई मामलों में यह धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है, वह अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अपील कर सकता है और ऐसी अनुमति वहां नहीं नकारी जाएगी जहां निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 के तहत उस पर बाध्यकारी होगा। हम इस विचार को अपनाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं कि क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ कार्यवाहियों का नोटिस दिया गया है जिसमें उसे उपस्थित होने और अपनी दलीलें पेश करने का अधिकार दिया गया है, तो बिना किसी अतिरिक्त आधार के उसे अपनी दलीलों या प्रस्तुतियों को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिए। अपील संविधि की रचना है और यदि कोई संविधि स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इंग्लैंड और भारत दोनों में असंख्य संविधियां (statutes) किसी आदेश से **'व्यथित व्यक्ति'** को अपील करने का अधिकार प्रदान करती हैं और ऐसी संविधियों के प्रावधानों का प्रत्येक प्रकरण में यह पता लगाने के लिए निर्वचन किया जाना चाहिए कि क्या अपील करने वाला व्यक्ति उस अभिव्यक्ति के दायरे में आता है। जैसा कि **रॉबिन्सन बनाम करी** [7 QBD 465] में अवलोकन किया गया था, 'व्यथित व्यक्ति' शब्दों का 'वही सामान्य अर्थ लगाया जाता है जो उन पर आधारित है'। **हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (तृतीय संस्करण, खंड 25), पृष्ठ 293, पद लेख 'h'** के अनुसार:

> '.....यह अभिव्यक्ति कहीं भी परिभाषित नहीं है और इसका अर्थ उस अधिनियमन के संदर्भ में जिसमें यह प्रकट होती है और सभी परिस्थितियों के संदर्भ में निकाला जाना चाहिए।'

हालांकि, समय–समय पर विभिन्न मामलों में इस अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के प्रयास किए गए हैं। **एक्स पार्ट साइडबोथम इन री साइडबोथम** [14 **अध्याय डी** 458, **पृष्ठ** 465] में जेम्स एल.जे. द्वारा यह अवलोकन किया गया था:

> "लेकिन 'व्यथित व्यक्ति' शब्दों का वास्तव में वह व्यक्ति अर्थ नहीं है जो उस लाभ से निराश है जो उसे प्राप्त हो सकता था यदि कोई अन्य आदेश पारित किया गया होता। एक 'व्यथित व्यक्ति' वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने विधिक व्यथा सहन की हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध निर्णय सुनाया गया हो जिसने उसे दोषपूर्ण ढंग से किसी चीज़ से वंचित किया हो, या दोषपूर्ण ढंग से उसे किसी चीज़ के लिए मना किया हो, या किसी चीज़ पर उसके हक को दोषपूर्ण रूप से प्रभावित किया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रीपाल भाटी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2020) 12** एस सी सी **87]** के प्रकरण में व्यथित व्यक्ति से संबंधित मुद्दे की जांच की है और धारित किया है कि जब तक व्यक्तिगत रूप से क्षति न हुई हो, किसी व्यक्ति को व्यथित नहीं कहा जा सकता है और उसके पास सुनवाई का अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 25 में निम्नानुसार धारित किया है:

> "25. पूर्वोक्त तथ्यों और कारणों से अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 4 की नियुक्ति और आमेलन को दी गई चुनौती पोषणीय नहीं है और इस प्रकरण में उनका कोई वादकरण का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए **जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद एवं अन्य** [**एआईआर** 1976 **एससी** 578] के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकनों को संदर्भित करना प्रासंगिक हो सकता है, जिसमें यह धारित किया गया है कि जब तक व्यक्तिगत रूप से

क्षति न हुई हो, किसी व्यक्ति को व्यथित नहीं कहा जा सकता और उसका कोई वादकरण का अधिकार नहीं होता है:

"48. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह प्रदर्शनात्मक रूप से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को किसी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। उसे किसी कानूनी रूप से संरक्षित हित की क्षति नहीं हुई है। वास्तव में, विवादित आदेश उसके विरुद्ध निर्णय के रूप में कार्य नहीं करता है, और न ही यह किसी चीज़ पर उसके हक को दोषपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उसके साथ कोई कानूनी अन्याय नहीं हुआ है। उसे कोई विधिक व्यथा नहीं हुई है। उसके पास किसी न्यायोचित दावे के लिए कोई विधिक आधार नहीं है। इसलिए, वह 'व्यथित व्यक्ति' नहीं है और 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रदान करने को चुनौती देने का उसका कोई वादकरण का अधिकार नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस प्रकार, उत्तरदाता क्रमांक 1 और 3 की कार्रवाई से याचिकाकर्ता का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है, अतः इस याचिका को दायर करने के लिए उसके पास कोई **वाद का अधिकार** नहीं है।

30. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही उत्तरदाता क्रमांक 2 ने दिनांक 01.08.2011 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार करने के उत्तरदाता क्रमांक 2 के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। साथ ही दिनांक 01.06.2015 का आदेश, जिसके द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को पुनः इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह 12.01.2015 से अपात्र हो गया है, किसी भी मंच के समक्ष चुनौती का विषय नहीं है; इसलिए, यह अंतिम हो गया है और इस कारण भी रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

31. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने **एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957** में बाद के संशोधन के आलोक में अपने आदेश दिनांक 09.07.2022 (अनुलग्नक आर/2) के माध्यम से यह धारित किया है कि उसके पास लंबित सभी आवेदन व्यपगत हो गए हैं। इस आदेश को भी उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 30 के

तहत पुनरीक्षण दायर करके चुनौती नहीं दी गई है, अतः यह अंतिम हो गया है और इस आधार पर भी रिट याचिका पोषणीय नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।

32. याचिकाकर्ता के इस अतिरिक्त तर्क पर यह न्यायालय विचार कर रहा है कि उत्तरदाता क्रमांक 3 ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 17A(2A) के आलोक में उत्तरदाता क्रमांक 2 को 50 वर्षों के लिए विभिन्न खनन पट्टे प्रदान किए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता जो कि एक संयुक्त उद्यम भागीदार है, उसे इस प्रकरण में वंचित किया गया है, अतः यह समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच **विद्वेषपूर्ण भेदभाव** का मामला है। अनुलग्नक पी/22 से P/31 के अवलोकन से, जो कि उत्तरदाता क्रमांक 2 को प्रदान किए गए खनन पट्टे हैं, यह स्पष्ट है कि वे केवल सरकारी कंपनी के लिए आरक्षित हैं, लेकिन अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि वे संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के साथ विद्वेषपूर्ण भेदभाव किया गया है। विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत के दृष्टिगत कि जो व्यक्ति समानता का दावा करता है या यह दावा करता है कि वह समान रूप से स्थित व्यक्ति है, उसे न्यायालय के समक्ष कुछ सामग्री प्रस्तुत करके इसे सिद्ध करना चाहिए, जो वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः लुप्त है। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा किया गया यह अभिकथन कि वह समान रूप से स्थित व्यक्ति है, इसलिए उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे पट्टा दिया जाना चाहिए था, निरस्त किए जाने योग्य है। इस न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य** [(2017) 1 एस सी सी 148] के प्रकरण में दिए गए निर्णय से पुष्ट होता है, जिसमें कंडिका 42.1 में निम्नानुसार धारित किया गया है:–

> "42.1 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के तहत, संदर्भित पद (reference post) के साथ संबंधित पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में समानता का **'सिद्ध करने का भार'** उस व्यक्ति पर होता है जो इसका दावा करता है। जो व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, उसे यह स्थापित करना होता है कि उसके द्वारा धारित पद के लिए उसे संदर्भित पद के समान मूल्य का समान कार्य निष्पादित करने की आवश्यकता है (देखें – उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मामला, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ बनाम मंजू माथुर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामला, और नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड मामला)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह अतिरिक्त तर्क कि याचिकाकर्ता **'वचन विबंध'** के आलोक में अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि वह पहले ही भारी धनराशि निवेश कर चुका है। इस तर्क का राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है और उन्होंने निवेदन किया है कि वचन विबंध का सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि प्रारंभ से ही संयुक्त उद्यम का कार्य कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है और **संविधि के विरुद्ध कोई विबंध नहीं होता है**। चूंकि खान और खनिज [(विकास और विनिमय)] अधिनियम, 1957 की धारा 10(2)(A) के खंड 2 में प्रगणित श्रेणियों के अलावा अन्य सभी आवेदन अपात्र हैं और याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में असमर्थ है कि उसका मामला पात्र होने के लिए धारा 10(2)(A) की श्रेणी में आता है। संविधि के विरुद्ध वचन विबंध के संबंध में कानून हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष **हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड बनाम भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य [2022 लाइवलॉ (एससी) 852]** के प्रकरण में विचारार्थ आया था, जिसमें निम्नानुसार धारित किया गया है:–

> "31. अतः, विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या बाद की संविधि में पिछली संविधि के तहत दिए गए लाभों को रद्द करने का विशिष्ट प्रावधान होने के बावजूद, केंद्र सरकार को पिछली अधिसूचना के माध्यम से किए गए अपने अभ्यावेदन पर कायम रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रश्न पर विचार करना होगा वह यह है कि क्या **वचन विबंध का सिद्धांत किसी संविधि के विरुद्ध प्रभावी हो सकता है**।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **33.** इस न्यायालय के निर्णय **भारत संघ एवं अन्य बनाम मेसर्स इंडो–अफगान एजेंसीज लिमिटेड** पर भारी भरोसा जताया गया है, जो 'वचन विबंध' के मुद्दे पर विचार करने वाले इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णयों में से एक है। उक्त प्रकरण में, वस्त्र आयुक्त ने 10 अक्टूबर 1962 को ऊनी वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली 'निर्यात प्रोत्साहन योजना' नामक एक योजना प्रकाशित की थी। इस योजना को 1 जनवरी 1963 के एक व्यापार नोटिस द्वारा अफगानिस्तान को ऊनी वस्तुओं के निर्यात तक विस्तारित किया गया था। उक्त योजना के अनुसरण में, निर्यातक अपने निर्यात के एफ.ओ.बी. (माल जहाज पर लदान तक का मूल्य) मूल्य के 100% के बराबर कुल राशि के कच्चे माल का आयात करने के हकदार थे। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने इंडो–अफगान एजेंसीज लिमिटेड को केवल आंशिक रूप से 'आयात पात्रता प्रमाण पत्र' जारी

किया। अतः, इंडो–अफगान एजेंसीज लिमिटेड ने अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, पंजाब उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि निर्यात प्रोत्साहन योजना में विशेष रूप से "निर्यातित वस्तुओं के एफ.ओ.बी. मूल्य के 100% के बराबर मूल्य" की सामग्री आयात करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि वहां के याचिकाकर्ता एफ.ओ.बी. मूल्य के 100% के बराबर राशि के आयात लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार थे। उच्च न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक 'नैसर्गिक न्याय' के सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में था। इस न्यायालय ने वचन विबंध के मुद्दे पर भी विचार किया। इस न्यायालय ने धारित किया:

> "15. इन मामलों में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई थी कि जहाँ किसी व्यक्ति ने निर्यात प्रोत्साहन योजना में किए गए इस प्रकटीकरण पर कार्य किया है कि निर्यातित वस्तुओं के मूल्य तक के आयात लाइसेंस जारी किए जाएंगे, और उसने वस्तुओं का निर्यात किया है, तो योजना द्वारा अनुमत अधिकतम मूल्य के आयात लाइसेंस के लिए उसके दावे को मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता था। आयात प्रमाण पत्र की राशि में कटौती को निर्यातित वस्तुओं के संबंध में निर्यातक के कदाचार के आधार पर, या विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति जैसे विशेष विचार, या राज्य के सामान्य हितों पर प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, योजना निर्यातित वस्तुओं के मूल्य के 'बराबर', न कि मूल्य 'तक', आयात पात्रता प्रदान करने का प्रावधान करती है। अतः, वस्त्र आयुक्त से सामान्य अनुक्रम में निर्यातित माल के पूर्ण मूल्य के लिए आयात प्रमाण पत्र प्रदान करने की अपेक्षा की गई थी: वह उस राशि को केवल योजना के खंड 10 द्वारा परिकल्पित जांच के बाद ही कम कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता था...."

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मेसर्स इंडो–अफगान एजेंसीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में जो मुद्दा विचारणीय था, वह निर्यात प्रोत्साहन योजना के विपरीत रिट याचिकाकर्ता के दावे में की गई एक मनमानी कटौती के संबंध में था। विधयिका द्वारा किसी पश्चातवर्ती अधिनियमन के माध्यम से पिछली योजना के तहत दिए गए लाभ को वापस लेने के अधिकार का मुद्दा उक्त प्रकरण में विचार के लिए नहीं आया था।

35. इस न्यायालय ने **सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम उल्हासनगर नगर परिषद और एक अन्य** के प्रकरण में उस मुद्दे पर विचार किया जहाँ नगरपालिका ने अपीलकर्ता को चुंगी शुल्क लगाने की तिथि से 7 वर्षों के लिए चुंगी शुल्क के भुगतान से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, उसके पश्चात, नगरपालिका ने अपीलकर्ता से चुंगी शुल्क वसूलने का प्रयास किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "12. यदि हमारे नवोदित लोकतंत्र को फलना–फूलना है, तो जनता और सार्वजनिक निकायों के लिए आचरण के विभिन्न मानकों की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारे निर्णय में, एक सार्वजनिक निकाय अपने द्वारा किए गए प्रकटीकरणों से उत्पन्न होने वाले दायित्व को निभाने से मुक्त नहीं है, जिसका भरोसा करके एक नागरिक ने अपने हितों के प्रतिकूल अपनी स्थिति बदल ली है।"

36. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने **एम. रामनाथन पिल्लई बनाम केरल राज्य एवं अन्य** के प्रकरण में इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या पदों की समाप्ति के संबंध में राज्य के विरुद्ध विबंध उत्पन्न हो सकता है। संविधान पीठ ने इस प्रकार अवलोकन किया:

37. उच्च न्यायालय यह धारित करने में सही था कि पद की समाप्ति के संबंध में राज्य के विरुद्ध कोई विबंध उत्पन्न नहीं हो सकता। अपीलकर्ता रामनाथन पिल्लई को ज्ञात था कि पद अस्थायी था। अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस 2d के पृष्ठ 783, पैरा

123 में यह कहा गया है: "सामान्यतः, एक राज्य विबंध के अधीन उसी सीमा तक नहीं होता जैसा कि एक व्यक्ति या एक निजी निगम होता है। अन्यथा, यह शासन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असहाय हो सकता है। इसलिए एक सामान्य नियम के रूप में विबंध के सिद्धांत को राज्य के विरुद्ध उसकी शासकीय, सार्वजनिक या संप्रभु क्षमता में लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि, राज्य पर विबंध लागू करने में एक अपवाद तब उत्पन्न होता है जहाँ कपट या प्रत्यक्ष अन्याय को रोकने के लिए यह आवश्यक हो।" अपीलकर्ता रामनाथन पिल्लई द्वारा आरोपित विबंध इस आधार पर था कि उसने एक समझौता किया और इस तरह अपने अहित में अपनी स्थिति बदल ली। उच्च न्यायालय ने सही ढंग से धारित किया कि न्यायालय विबंध के सिद्धांत के संचालन को तब वर्जित करते हैं, जब यह पाया जाता है कि जिस प्राधिकारी के विरुद्ध विबंध का तर्क दिया गया है, उसका जनता के प्रति एक कर्तव्य है जिसके विरुद्ध विबंध निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकता। **[विशेष बल दिया गया]**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने **केरल राज्य एवं अन्य बनाम द ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड आदि** के प्रकरण में वचन विबंध के लागू होने के मुद्दे पर विचार किया था, जब पिछली संविधि में प्रदान किए गए वन भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रतिकर के अधिकार को एक पश्चातवर्ती संविधि द्वारा छीन लिया गया था। संविधान पीठ ने इस प्रकार धारित किया:

"38. विवादित अधिनियम को छद्म विधान का एक हिस्सा दिखाने के प्रयास में, केरल निजी वन अधिग्रहण विधेयक, 1968 (L.A. विधेयक क्रमांक 33/1968) का संदर्भ दिया गया, जिसमें अधिग्रहण के लिए प्रतिकर के भुगतान पर निजी वनों के अधिग्रहण का प्रावधान था। यह तर्क दिया गया कि उस विधेयक को व्यपगत होने दिया गया और वर्तमान अधिनियम इस स्पष्ट इरादे से बनाया गया था कि प्रतिकर का भुगतान किए बिना विशाल वन भूमियों का अधिकार हरण किया जा सके। हम शायद ही ऐसे तर्क को स्वीकार कर सकते हैं। वास्तव में प्रश्न, प्रथम दृष्टया, विधायिका की विवादित अधिनियम पारित करने की सक्षमता का है और द्वितीय, क्या अधिनियम इस अर्थ में संवैधानिक है कि इसे धारा 31A(1) द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जहाँ तक विधायिका की सक्षमता का संबंध है, हमारे समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई है। इसकी संवैधानिकता के संबंध में हमने दिखाया है कि अधिनियम कृषि सुधार के कार्यान्वयन में एक कदम के रूप में वनों के जन्मम

अधिकारों को सरकार में निहित करने का तात्पर्य रखता है। यदि यह विधायिका द्वारा संवैधानिक रूप से किया जा सकता था, तो यह तथ्य कि पहले के चरण में सरकार निजी वन स्वामियों को प्रतिकर देने के विचार पर विचार कर रही थी, बहुत कम महत्व का है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, विवादित अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य कृषि समुदाय के लाभ के लिए वनों के कुछ हिस्सों को आरक्षित करने के बाद कृषि उद्देश्यों के लिए वन भूमि का वितरण करना है। यह डर व्यक्त किया गया है कि यदि ऐसी प्रक्रिया को वास्तविक रूप से लागू किया गया, तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो सकती है जिससे मिट्टी का कटाव और नदियों एवं नालों में गाद जमा हो सकती है और अंततः यह कृषि समुदाय के हितों के लिए लंबे समय में हानिकारक साबित होगा। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि अंधाधुंध वनों की कटाई के बहुत दुखद परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे प्रकरण पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यह विधायिका पर निर्भर है कि वह अधिनियम में परिकल्पित योजना के तुलनात्मक लाभों को वनों की कटाई के संभावित नुकसानों के विरुद्ध संतुलित करे। ऐसे कई अनिश्चित तत्व हैं जिनके लिए हमारे पास कोई सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं है। यह माना जाता है कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को जानती है और वर्तमान लाभों को भविष्य के संभावित नुकसानों के विरुद्ध संतुलित करेगी। यदि भूमि पर दबाव है और विधायिका को लगता है कि कुछ क्षेत्रों में वन भूमि को सुविधाजनक रूप से और पूरे समुदाय को अधिक नुकसान पहुँचाए बिना कृषि आबादी के एक बड़े हिस्से को बसाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो विधायिका में निहित संवैधानिक शक्तियों के तहत उपयुक्त कानून बनाना पूरी तरह से संभव है, और यदि कानून संवैधानिक रूप से मान्य है तो यह न्यायालय शायद ही इस आधार पर इसे निरस्त कर सकता है कि लंबे समय में यह विधान वरदान साबित होने के बजाय एक अभिशाप साबित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. श्री मेनन, जो सिविल अपील क्रमांक 1398/1972 में उत्तरदाता की ओर से उपस्थित हुए थे, ने अपनी मुवक्किल कंपनी के लिए विशिष्ट **'साम्याश्रित विबंध'** का तर्क प्रस्तुत किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने इस समझ पर केरल में रेयान कपड़ा लुगदी के उत्पादन के लिए खुद को स्थापित किया था कि सरकार कच्चे माल की आपूर्ति के लिए खुद को बाध्य करेगी। बाद में सरकार सामग्री की

आपूर्ति करने में असमर्थ रही और एक समझौते के माध्यम से उसने 60 वर्षों की अवधि के लिए निजी वनों के अधिग्रहण हेतु कानून न बनाने का वचन दिया, यदि कंपनी कच्चे माल की आपूर्ति के उद्देश्य से वन भूमि खरीदती है। तदनुसार, कंपनी ने नीलामभुरी कोविला कन्नन एस्टेट से 75 लाख रुपये में 30,000 एकड़ निजी वन खरीदे और इसलिए, यह तर्क दिया गया कि जहाँ तक कंपनी का संबंध है, कानून न बनाने का समझौता राज्य के विरुद्ध साम्याश्रित विबंध के रूप में प्रभावी होना चाहिए। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार का कोई समझौता इस विषय पर विधायन को कैसे रोक सकता है। उच्च न्यायालय ने सही ढंग से संकेत दिया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक भलाई के लिए उपयोग की जाने वाली अपनी विधायी शक्तियों का समर्पण कंपनी के काम नहीं आ सकता या सरकार के विरुद्ध साम्याश्रित विबंध के रूप में कार्य नहीं कर सकता। **[विशेष बल दिया गया]**

40. इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने **'आबकारी आयुक्त, उ.प्र. इलाहाबाद एवं अन्य बनाम राम कुमार एवं अन्य'** के प्रकरण में उस मुद्दे पर विचार किया था, जिसमें नीलामी के समय, सरकार द्वारा देशी शराब बेचने के लिए बेचे गए लाइसेंसों को विक्रय कर के भुगतान से छूट दी गई थी। हालांकि, बाद की एक अधिसूचना द्वारा, देशी शराब की बिक्री को विक्रय कर के दायरे में ला दिया गया। इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्य को ऐसा करने से विबंधित किया गया था। इस न्यायालय ने **एम. रामनाथन पिल्लई** (पूर्वोक्त) और **द ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड आदि** (पूर्वोक्त) के मामलों में पूर्ववर्ती संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। इसने धारित किया कि सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, चाहे वह पदानुक्रम में कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों न हो, क्राउन (राज्य) की ओर से दिया गया आश्वासन क्राउन को वैधानिक प्रतिषेध लागू करने से नहीं रोक सकता। इसने इस विधिक स्थिति को दोहराया कि विबंध सरकार या उसके समनुदेशिती के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है।

41. **'द बिहार ईस्टर्न गैंगेटिक फिशरमेन को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह एवं अन्य'** के प्रकरण में, राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि जलकर का बंदोबस्त वर्ष 1976–77 और 1977–78 के लिए सिपाही सिंह के साथ जारी रहेगा। हालांकि, 'बिहार ईस्टर्न गैंगेटिक फिशरमेन को–ऑपरेटिव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सोसाइटी लिमिटेड' द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि संबंधित वर्षों के लिए जलकर का बंदोबस्त कुछ शर्तों पर उक्त सोसाइटी के साथ होगा। सिपाही सिंह ने एक रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने वचन विबंध के सिद्धांत के आधार पर स्वीकार कर लिया। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए इस प्रकार अवलोकन किया:

> "13. वचन विबंध के सिद्धांत को वर्तमान प्रकरण में भी उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि यह सुस्थापित है कि सरकार के विरुद्ध उसकी संप्रभु विधायी और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में कोई विबंध नहीं हो सकता। (देखें: 'आबकारी आयुक्त, उ.प्र. इलाहाबाद बनाम राम कुमार' [(1976) 3 एस सी सी 540])।"
>
> **[विशेष बल दिया गया]**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. तत्पश्चात, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने **'मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य'** के प्रकरण में पुनः विबंध के मुद्दे पर विचार किया। उक्त प्रकरण में, राज्य सरकार ने यह दर्शाया था कि नई औद्योगिक इकाइयों को विक्रय कर से छूट दी जाएगी। राज्य सरकार के आश्वासन के आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के अपीलकर्ता ने अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित की थी। हालांकि, बाद में सरकार ने उक्त रियायत को रद्द करने का निर्णय लिया। यद्यपि इस न्यायालय ने, उक्त प्रकरण के तथ्यों में, यह धारित किया कि वहां के अपीलकर्ता ने उत्तरदाता द्वारा किए गए वादे के आधार पर अपने अहित में अपनी स्थिति बदल ली थी और इस तरह राज्य उक्त वादे से पीछे नहीं हट सकता था, अपील को स्वीकार करते हुए इस प्रकार अवलोकन किया:

> "28. ..... विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध भी कोई वचन विबंध नहीं हो सकता। वचन विबंध के सिद्धांत का सहारा लेकर विधायिका को उसके विधायी कार्यों के निष्पादन से कभी भी रोका नहीं जा सकता है। देखें– **केरल राज्य बनाम ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड** [(1973) 2 एस सी सी 713, 730 (पैरा 39) : (1974) 1 SCR 671, 688]"

[विशेष बल दिया गया]

44. इसके पश्चात इस न्यायालय का **मेसर्स जीत राम शिव कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** के प्रकरण में निर्णय आता है। उक्त प्रकरण में, नगरपालिका समिति ने एक छोटी मंडी स्थापित की थी और यह निर्णय लिया था कि मंडी में बिक्री के लिए भूखंड खरीदने वालों को उक्त मंडी के भीतर आयातित माल पर चुंगी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। तत्पश्चात, नगरपालिका समिति ने चुंगी शुल्क लगाना शुरू कर दिया। नगरपालिका समिति के उक्त कृत्य को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त प्रकरण में, विभिन्न अन्य अधिकार क्षेत्रों के न्यायालयों के निर्णयों के साथ–साथ इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ देते हुए इस प्रकार अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "40. सरकार के विरुद्ध वचन विबंध के सिद्धांत के तर्क के दायरे को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:
>
> (1) राज्य के विधायी कार्यों के प्रयोग के विरुद्ध वचन विबंध का तर्क उपलब्ध नहीं है।
>
> (2) सरकार को कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए इस सिद्धांत का आह्वान नहीं किया जा सकता है।
>
> (3) जब सरकार का अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर कार्य करता है, तो वचन विबंध का तर्क उपलब्ध नहीं होता है। तब 'अधिकारितातीत' का सिद्धांत प्रभावी होगा और सरकार को उसके अधिकारियों के अनधिकृत कृत्यों द्वारा बाध्य नहीं माना जा सकता है।
>
> (4) जब कोई अधिकारी किसी योजना के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करता है और कोई समझौता करता है तथा कोई अभ्यावेदन देता है, और

उस अभ्यावेदन पर कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयं को प्रतिकूल स्थिति में डाल लेता है, तो न्यायालय अधिकारी को उस योजना और समझौते या अभ्यावेदन के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करने का हकदार है। अधिकारी अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता और आवश्यकता के कुछ अपरिभाषित और अज्ञात आधारों पर अपने वादे को नजरअंदाज नहीं कर सकता या उन शर्तों को उस व्यक्ति के अहित में नहीं बदल सकता जिसने ऐसे अभ्यावेदन पर कार्य किया था।

(5) अधिकारी विशेष परिस्थितियों, जैसे कठिन विदेशी मुद्रा की स्थिति या राज्य के सामान्य हित से जुड़े अन्य मामलों में, दूसरे पक्ष के अहित में समझौते की शर्तों को बदलने में न्यायसंगत होगा।" **[विशेष बल दिया गया]**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

58. अतः, हमारा यह सुविचारित मत है कि नीति में परिवर्तन के आधार पर भी, जो लोकहित में हो, या स्वयं वैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन के दृष्टिगत, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में जीएसटी अधिनियम लागू होने के कारण हुआ है, संघ को उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन, अर्थात 2003 के उक्त कार्यालय ज्ञापन (O.M.) द्वारा बाध्य मानना सही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह सीजीएसटी (CGST) अधिनियम की धारा 174(2)(c) के तहत अधिनियमित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगा।

72. यद्यपि हमने यह धारित किया है कि वचन विबंध पर आधारित अपीलकर्ताओं का दावा सारहीन है, फिर भी हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि अपीलकर्ताओं का दावा पूरी तरह से आधारहीन है।"

34. उपरोक्त के दृष्टिगत, बिंदु क्रमांक 3 का उत्तर भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध और उत्तरदाता क्रमांक 1 एवं 3 के पक्ष में दिया जाता है।

35. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, विषय पर तथ्यों और कानून पर विचार करते हुए, यह धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता इस याचिका में मांगे गए किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का हकदार नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका गुण–दोष रहित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। वाद – व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/–

(नरेन्द्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।